

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 501-A / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25


दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हुकम सिंह प्रशिक्षक/प्रभारी (वर्ग-1)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हरिद्वार सम्बद्ध-राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र सिताबपुर (कोटद्वार)	प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार (पौड़ी)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(घ) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 501-A / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. प्रभारी, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हरिद्वार/सिताबपुर (कोटद्वार)।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार(पौड़ी)।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, कोटद्वार/हरिद्वार/पौड़ी।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान गढवाल मण्डल पौड़ी।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 501-B / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तद्संबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नरेन्द्र सिंह सहायक खाद्य प्रसंस्करण निरीक्षक (वर्ग-2)	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार संबद्ध रा0खा0प्र0के0 चैलूसैण	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार (पौड़ी)	मूल पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10(क) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 501-B / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र चैलूसैण।
3. प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार (पौड़ी)।
4. जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी।
5. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, कोटद्वार/पौड़ी।
6. संयुक्त निदेशक, उद्यान गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाइल।


निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)
उद्यान भवन,चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 501-C / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक:चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तद्संबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या- 04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बल्लभ प्रसाद डिमरी पर्यवेक्षक (वर्ग-3)	मुख्य मशरूम विकास अधिकारी देहरादून	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र चकराता (देहरादून)	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(ख) के अनुसार)
2	श्री सदनी दास पर्यवेक्षक (वर्ग-3)	राजकीय फल संरक्षण केन्द्र मसूरी (देहरादून)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र चैलूसैण (कोटद्वार)	रिक्त के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 7(ख) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 501-C / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. प्रभारी, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र चकराता(देहरादून), चैलूसैण (कोटद्वार), मसूरी(देहरादून)।
3. प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कोटद्वार (पौड़ी)।
4. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी देहरादून।
5. जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
6. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, कोटद्वार/पौड़ी/देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, उद्यान गढवाल मण्डल पौड़ी।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण(उत्तराखण्ड)

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत(अल्मोड़ा)

पत्रांक 501-D / दो-34(3) / स्था0 / 2024-25

दिनांक: चौबटिया: जून 10 / 2024

: आदेश :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक: 06.02.2018 इस निमित्त तदसंबंधी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या: 198739/XXX (2)/E- 33080 दिनांक: 14.03.2024 के अनुपालन में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के प्रकरण में इस हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को कॉलम संख्या-04 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थान जहाँ तैनात किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अखिलेश कुमार पर्यवेक्षक (वर्ग-3)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र नाला (रुद्रप्रयाग)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के सापेक्ष (अधिनियम की धारा- 10(क) के अनुसार)

अतः तदनुसार उक्त कार्मिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप संबंधितों के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कर ली जायेगी।

निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 501-D / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित कार्मिक।
2. प्रभारी, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र नाला (रुद्रप्रयाग)/ रुद्रप्रयाग।
3. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. कोषाधिकारी/ मुख्य कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान गढवाल मण्डल पौड़ी।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. गार्ड फाइल।

निदेशक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।